राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2024/224 बअनवान आनंद मोहन भाटी बनाम रामाराम वगैरा
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 10 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
01/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि प्रतिवादी रामाराम द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी के माध्यम से इस वाद को इस आधार पर रोके जाने की दलील दी जा रही है कि इसी भूमि के संबंध में घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद संख्या 2024/120 बअनवान रामाराम बनाम कमला वगैरा इस न्यायालय में विचाराधीन है जिस वाद के लंबित रहते हुये वादी मोहन भाटी द्वारा खरीदशुदा 2/3 हिस्सा के विभाजन का वाद पेश किया है। इस प्रकार पूर्व वाद में वर्णित भूमि तथा इस वाद में वर्णित भूमि समान होने तथा पूर्व वाद घोषणात्मक वाद होने से इस वाद की कार्यवाही को स्टे किये जाने की दलील दी गई। इसके विपरीत वादी अधिवक्ता की दलील दी है कि प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ वाद पत्र की प्रति पेश नहीं करने से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित अभिवचनों की सत्यता पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। उभयपक्ष वकुलाय की बहस पर मनन एवं इस न्यायालय में लंबित अन्य वाद पत्रावली संख्या 2024/120 बअनवान रामाराम बनाम कमला वगैरा के अवलोकन के पश्चात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ववती वाद संख्या 2024/120 एवं उक्त वाद 2024/224 को समेकित करते हुये एक साथ सुनवाई के आदेश दिये जाते है। पत्रावली पूर्ववती वाद के साथ संलग्न होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner